

case no. 12A/2016

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-12ए/2016

संस्थित दिनांक- 01.08.2015

Filling no- 235103002262015

| | |
|---------|--|
| 01 | श्रीमती हरकुंअरबाई पत्नि पप्पू जाति अहिरवार आयु 35 साल |
| 02 | रामकली बाई पत्नि चउआ जाति अहिरवार आयु 45 साल |
| 03 | पुतरोबाई पत्नि रामचरण जाति अहिरवार आयु 60 साल समस्त निवासीगण:- ग्राम सकवारा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 |
| 04 | वल्ली वेवा वारेलाल जाति अहिरवार आयु 60 सालमृत |
| 04ए | कलीबाई पुत्री बारेलाल पत्नि गनेशराम जाति अहिरवार आयु 45 साल पेशा खेती निवासी:- सकवारा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0वारिस |
| विरुद्ध | |
| 01 | अनेक सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति लोधी आयु 38 साल |
| 02 | केरनसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति लोधी आयु 37 साल |
| 03 | अजुद्धी पुत्र कुंअरलाल जाति लोधी आयु 65 साल |
| 04 | भागीरथ पुत्र कुंअरलाल जाति लोधी आयु 60 साल |
| 05 | कोमल पुत्र कुंअरलाल जाति लोधी आयु 55 साल |
| 06 | शिशुपाल पुत्र बालचन्द्र जाति लोधी आयु 38 साल |
| 07 | सखीबाई पत्नि अनेक सिंह जाति लोधी आयु 35 साल |
| 08 | भागो पत्नि केरन सिंह जाति लोधी आयु 32 साल |

case no. 12A/2016
Filling no- 235103002262015

| | |
|----|---|
| 09 | सावो बाई पत्नि भागीरथ जाति लोधी आयु 55 साल |
| 10 | प्रभा बाई पत्नि कोमल जाति लोधी आयु 50 साल |
| 11 | उर्मिलाबाई पत्नि शिशुपाल सिंह जाति लोधी 50 साल |
| 12 | महेश पुत्र भागीरथ जाति लोधी आयु 30 साल |
| 13 | शिवदयाल पुत्र अजुद्धी जाति लोधी आयु 30 साल |
| 14 | शिवराज पुत्र कोमल जाति लोधी आयु 30 साल |
| 15 | सन्नू पुत्र गज्जू जाति लोधी आयु 25 साल |
| 16 | सोनसिंह पुत्र अनेक सिंह जाति लोधी आयु 25 साल निवासीगण:- ग्राम सकवार तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0प्रतिवादीगण |
| 17 | म0प्र0 राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0फोरमल प्रतिवादी |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| वादी द्वारा | :— श्री सतीश श्रीवास्तव अधि०। |
| प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 द्वारा | :— श्री आलोक चौरसिया अधि०। |
| प्रतिवादी क्र० 17 म0प्र0शासन | :— पूर्व से एकपक्षीय |

-----:: / / निर्णय / / ::-----

{आज दिनांक:- 31.10.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी हरकुंअरबाई सर्वे क्र० 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी रामकलीबाई, सर्वे क्र० 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है० भूमि की वादी पुतरोबाई एवं सर्वे क्र० 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है० भूमि बल्लीबाई (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) के स्वत्व आधिपत्य एवं

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु, प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दिनांक 06.07.2015 से कब्जा प्राप्ति कर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष अन्तर्वर्ती लाभ दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादी क्र० 4 बल्ली बेबा वारेलाल की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्री कलीबाई को वारिसान के रूप में संयोजित किया गया है।

03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी हरकुंअरबाई सर्वे क्र० 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी रामकलीबाई, सर्वे क्र० 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है० भूमि की वादी पुतरोबाई एवं सर्वे क्र० 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है० भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को शासन के नियमानुसार भूमिहीन होने के कारण पट्टे दिये गये थे। उक्त पट्टे शासन के नियमानुसार विधिवत तहसील चंदेरी से प्रकरण क्र० 11अ/“19” वर्ष 02—03 आदेश दिनांक 17.01.2003 से विधिवत पट्टा जारी किया था और वादीगण ने उक्त भूमि में काफी रूपया खर्च कर वादग्रस्त भूमि को काविल कास्त बनाया था। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 6/2 था, पट्टा प्राप्त होने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि बटां अंकित हो गये और राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम विधिवत भूमि स्वामी अहस्तांतरण अंकित हो गया। वादीगण हरिजन जाति के हैं जबकि प्रतिवादीगण लोधी जाति के होकर ताकतवर व्यक्ति हैं और वादग्रस्त भूमि को हड़पना चाहते हैं।

04— दिनांक 06.07.2015 को वादीगण व उसके परिवार वाले वादग्रस्त भूमि पर थे तो प्रतिवादीगण लाठी, फर्सा, कुल्हाड़ी लेकर वादग्रस्त भूमि पर आए और धमकी देने लगे और कब्जा करने का प्रयास करने लगे और जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया। वादीगण द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाने में रिपोर्ट की थी। प्रतिवादीगण अभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बनाये हुए हैं। वादीगण को पट्टा होने के बारे में प्रतिवादीगण को वर्ष 2002—03 से जानकारी थी किन्तु प्रतिवादीगण जानबुझकर वादीगण को परेशान कर रहे हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की फसल पैदा करते थे। प्रतिवादीगण का कब्जा कर लेने से वादीगण को 50 हजार रुपये सालाना नुकसान हो रहा है।

05— प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है और न ही रहा है, न ही प्रतिवादीगण पट्टे की पात्रता में आते हैं क्योंकि प्रतिवादीगण के पास पर्याप्त भूमि है, ट्रेक्टर और कुआ आदि भी है। प्रकरण में म०प्र० शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया है और शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। वादीगण की ओर से यह वाद स्वत्व आधिपत्य एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु, प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दिनांक 06.07.2015 से कब्जा प्राप्ति कर 50

हजार रुपये प्रतिवर्ष अन्तवर्ती लाभ दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

06— प्रतिवादी 1 लगायत 16 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में व्यक्त किया कि ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी हरकुंअरबाई सर्वे क्र० 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी रामकलीबाई, सर्वे क्र० 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है० भूमि की वादी पुतरोबाई एवं सर्वे क्र० 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है० भूमि बल्लीबाई के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है और प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का विगत 30 साल से अधिक समय से म०प्र०शासन की जानकारी से तथा विगत 12 सालो से अधिक समय से वादीगण की जानकारी प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 का प्रतिकूल आधिपत्य निरंतर आज दिनांक तक चला आ रहा है जिससे वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व समाप्त हो गये है।

07— वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा और वादीगण को शासन के नियमानुसार पट्टे प्रदान नहीं किये है और उक्त पट्टे जारी किये जाने के संबंध में कोई इस्तेहार और उद्घोषणा भी प्रसारित नहीं की गई। समस्त प्रक्रिया को गोपनीय तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाया गया है। वादीगण को पट्टा प्रदान किये जाने के पूर्व पटवारी ग्राम सकबारा तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और न ही कब्जे की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08— प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 17 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी क्र० 17 को तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

09— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :-

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 1. | क्या ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी हरकुंअरबाई सर्वे क्र० 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी रामकलीबाई, सर्वे क्र० 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है० भूमि की वादी पुतरोबाई एवं सर्वे क्र० 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है० भूमि बल्लीबाई के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ? | प्रमाणित नहीं |
| 2 | क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 16 द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ? | प्रमाणित नहीं |

| | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 3 | क्या वादीगण प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ? | प्रमाणित नहीं |
| 4 | क्या वादीगण प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दिनांक 06.07.15 से कब्जा प्राप्ति तक 50,000/- प्रतिवर्ष के हिसाब से अर्न्तलाभधन प्राप्त करने की अधिकारी है ? | प्रमाणित नहीं |
| 5. | क्या प्रस्तुत वाद में असंयोजन एवं कुसंयोजन का दोष है ? | प्रमाणित नहीं |
| 6. | क्या प्रस्तुत वाद का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार है ? | प्रमाणित |
| 7. | क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर किया जाकर उस पर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ? | प्रमाणित |
| 8. | सहायता एवं व्यय ? | दावे का पैरा 19 के अनुसार दावा निरस्त |

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1 लगायत 4 :-

10— वाद प्रश्न क्र० 1 लगायत 4 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी की ओर से साक्षी के रूप में रामकली, हरकुअर, गणेशराम के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये हैं तथा वादीगण की ओर से खसरा खतौनी वर्ष 2016-17 की प्रतिलिपि प्र.पी. 1 लगायत 8, तहसीलदार चंदेरी के आदेश प्र.पी.9, पट्टा प्र.पी.11 लगायत 13 मूल खसरा वर्ष 2011-12 की प्रतिलिपि प्र.पी. 14 लगायत 17 एवं खसरा सम्वत् 2062 से 66 एवं 2057-61 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 18 लगायत 21 प्रस्तुत की है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी साक्षी को परिक्षित नहीं कराया गया है।

11— रामकली वा०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण में लेख किया कि सर्वे क्र० 6/2/13क/11 रकबा 0.600 है० भूमि उसके स्वत्व स्वामित्व की भूमि है जिसपर उसका कब्जा चला आने के कारण उक्त भूमि का उसे वर्ष 2002-03 में तहसील चंदेरी से पट्टा प्राप्त हुआ था, जबकि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि सर्वे नम्बर 6 की भूमि पर उसका 14-15 साल पट्टा होने के पूर्व कब्जा नहीं था। स्वतः कहा पट्टे के बाद कब्जा हुआ है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 10 में बताया कि सर्वे नम्बर 6 पर गाँव के बहुत से लोगो के पट्टे हुए थे जिनमें से बहुत से लोगो के पट्टे निरस्त हो गये हैं। स्वतः कहा हमारी जमीन की नप्ती बाद में हुई थी इसलिये हमारे पट्टे पक्के हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के

इस सुझाव को स्वीकार किया कि पट्टा देते समय जमीन को नापकर नहीं दी थी एक साल बाद नापकर दी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया कि उसके द्वारा पट्टा प्राप्त करने के लिये किसी अधिकारी को आवेदन नहीं दिया था, शासन ने स्वयं पट्टे बांटे थे।

12— हरकुंअर बाई अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि सर्वे क्र0 6/2/13क/14 रकबा 0.600 है0 भूमि उसे वर्ष 2002 व 2003 में तहसील चंदेरी से पट्टे पर प्राप्त हुई थी जिसपर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 08 में बताया कि जब उन्हें पट्टे हुए थे उस समय प्रतिवादीगण सर्वे नम्बर 6 की भूमि पर खेती करते थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वादग्रस्त भूमि के पट्टे दिये जाने के करीब 1 वर्ष पश्चात ही वादग्रस्त भूमि का सीमांकन हुआ था, किन्तु वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये।

13— वादीगण का मुख्य अभिवचन है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 सर्वे क्र0 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है0 वादी हरकुंअरबाई को सर्वे क्र0 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है0 भूमि वादी रामकलीबाई को सर्वे क्र0 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है0 भूमि वादी पुतरोबाई को सर्वे क्र0 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है0 भूमि बल्लीबाई को शासन द्वारा प्रदाय किये गये पट्टे के आधार पर प्राप्त हुई है। वादीगण की ओर से उक्त अभिवचन के संबंध में प्र.पी.11 लगायत 13 के मूल पट्टे प्रस्तुत किये हैं। यहां यह उल्लेखनिय है कि किसी दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराये जाने मात्र से ही उक्त दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो जाता है कि जब तक की उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिये कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की गई हो। प्र.पी. 11 लगायत 13 के पट्टों का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त पट्टों में वादग्रस्त भूमि वादीगण को प्रदान किये जाने के संबंध में उक्त भूखण्ड की चतुरसीमा या स्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तथा वादीगण का भी यह अभिवचन नहीं है कि उन्होंने वादग्रस्त भूमियों का सीमांकन कराया हो और यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमियों का सीमांकन कराया है तत्पश्चात उक्त सीमांकन रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14— प्र.पी.11 लगायत 13 के पट्टों का अवलोकन करने से दर्शित है कि उक्त पट्टे उक्त दस्तावेजों के अनुसार तहसीलदार चंदेरी के न्यायालय के प्रकरण क्र0 11ए/19 "1"/02-03 के तहत प्रदाय किये गये उक्त प्रकरण क्र0 के आधार पर प्र. पी.11 लगायत 13 के जो पट्टे प्रदाय किये गये थे, उक्त प्रकरण क्र0 के आदेश को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाना चाहिये था जोकि एक सर्वोत्तम साक्ष्य होती। चूंकि उक्त प्रकरण के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर प्र.पी.11 लगायत 13 के पट्टे वादीगण को प्रदाय किये गये थे। उक्त प्रकरण क्र0 11ए/19 "1"/02-03 की दस्तावेजी साक्ष्य

अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादीगण के प्रकरण के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह प्रतिकूल उपधारणा की जावेगी कि उक्त प्रकरण क्र० की दस्तावेजी साक्ष्य इसलिये जानबुझकर प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसे वादीगण के इस प्रकरण का समर्थन नहीं होता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत पट्टे प्र.पी. 11 लगायत 13 का मूल आधार उक्त पट्टों में उल्लेखित प्रकरण क्र० 11ए/19 "1"/02-03 ही है और उक्त प्रकरण क्रमांक से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये वादीगण की ओर से प्रस्तुत पट्टे प्र.पी. 11 लगायत 13 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादीगण की ओर से यद्यपि न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है किन्तु यह एक स्थापित वैधानिक स्थिति है कि सिविल वादों में वादी को स्वयं अपना वाद प्रमाणित करना होता है और प्रतिवादी की किसी दुर्बलता का लाभ वादी नहीं ले सकता है।

15— वादीगण का मुख्य अभिवचन यह भी है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 द्वारा कब्जा कर लिया है, जिसके संबंध में प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में भी इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का पूर्व से ही कब्जा है, ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत मूल पट्टे प्र.पी.11 लगायत 13 के आधार पर वादीगण का **स्वामी प्रमाणित** नहीं है, वहीं स्वयं वादीगण के अभिवचन अनुसार वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादीगण का वादग्रस्त भूमियों पर आधिपत्य होना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है, जहां कि वादीगण वादग्रस्त भूमियों पर उनका स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं वहां पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, जहां वादीगण का वादग्रस्त भूमियों पर स्वामित्व प्रमाणित नहीं है वहां वादीगण प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 की वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के लिये हकदार नहीं है। वादीगण जहां वादग्रस्त भूमि पर उनका स्वामित्व व आधिपत्य प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं वहां वे प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अन्तरधन लाभ प्राप्त करने के भी हकदार नहीं हैं। अतः वादप्रश्न क्र० 2 लगायत 4 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 5:—

16— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 की ओर से जबाब दावे के पैरा 6 में यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि अन्य के नाम पर दिये और उन्हें प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने से असंयोजन का दोष है तथा प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 7 लगायत 16 को अकारण पक्षकार बनाया है इस कारण वाद में कुसंयोजन का दोष

है। यद्यपि वादप्रश्न क्र० 5 के संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। कुसंयोजन का तात्पर्य है कि प्रकरण में अनावश्यक पक्षकारों को जोड़ा जाना एवं असंयोजन का तात्पर्य है कि प्रकरण के आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में शामिल न किया जाना। आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं, अधिकारों और हितों का संबंध है। इस प्रकार ऐसी कोई परिस्थिति दर्शित नहीं है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन का दोष है तथा न्यायालय प्रभावी डिक्री उक्त संबंध में पारित नहीं कर सकता है। अतः वादप्रश्न क्र० 5 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 6:-

17- प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया है कि क्षेत्राधिकार माननीय को प्राप्त नहीं है, क्षेत्राधिकार तहसीलदार महोदय चंदेरी को प्राप्त होने से वर्तमान प्रकरण का विचारण का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वर्तमान वाद वादीगण की ओर से स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविलवादों का विचारण करेगा। अतः धारा 9 सीपीसी के आलोक में वर्तमान वाद को श्रवण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। अतः वादप्रश्न क्र० 6 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 7:-

18- प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का कम न्यायालय शुल्क अदा किया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण द्वारा वर्तमान वाद स्वत्व घोषणा, आधिपत्य प्राप्त किये जाने, अन्तरवर्ती लाभ प्राप्त करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन 50,000/- रुपये कायम किया जाकर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एकत्र न्यायालय शुल्क 600/- किया गया है। न्यायालय शुल्क के प्रयोजन से आधिपत्य प्राप्ति हेतु वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन धारा 7(V) न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है।

वादप्रश्न क्र० 8:—
सहायता एवं व्यय

19— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि ग्राम सकबारा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 6/2/13/क/14 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी हरकुंअरबाई सर्वे क्र० 6/2/13/क/11 रकबा 0.600 है० भूमि की वादी रामकलीबाई, सर्वे क्र० 6/2/13/क/15 रकबा 0.418 है० भूमि की वादी पुतरोबाई एवं सर्वे क्र० 6/2/13/क/20 रकबा 0.448 है० भूमि बल्लीबाई के स्वत्व एवं आधिपत्य की है। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 6 द्वारा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। वादीगण प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 से वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य एवं 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से अन्तरवर्ती लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। फलतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा निरस्त कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

| | |
|----|---------------------------|
| 1. | दावा निरस्त किया जाता है। |
|----|---------------------------|

20— प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

21— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म०प्र० सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित घोषित कर किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०